

लोक अदालत

सत्र / 2017

मदस्ता सं०—

आदेश फलक—

विविध वाद सं०— 454 / 2017

दफा 102 दं० प्र० सं०

राजेश शर्मा बनाम शान्ति देवी

वाद लम्बित अन्तर्गत न्यायालय न्यायालय दंडाधिकारी न्यायालय ३

आदेश की तिथि	आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
<u>29.7.17</u>	<p>नोटिस का तामिला अप्राप्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा वाद में कोई अभिरुचि नहीं ली गई। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच अब कोई शांति भंग होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद की अग्रेतर कार्रवाई लोक अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है।</p> <p><u>h.k.m.</u> सदस्य 29.7.17</p>	<p><u>29/07/17</u> सदस्य</p>